निर्देशक	शोधार्थी
डॉ. विशाल पुरोहित	कु. मोनिका गायकवाड़
डॉ. भीमरॉव अम्बेडकर	इन्दौर
सामाजिक विज्ञान विश्वविदयालय महू	

महिला आर्थिक सशक्तिकरण के क्षेत्र में मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित योजनाओं का तुल्नात्मक अध्ययन (इंदौर जिले के विशेष संदर्भ में)

संक्षेपः–

हम जानते है कि पृथ्वी पर नर व नारी दोनो का अस्तित्व होना उतना ही आवश्यक है जैसे–दिन–रात उसी प्रकार यदि हम नर को ही प्रमुख मानेगे तो यह गलत होगा। क्योकि नर नारी दोनो ही एक दूसरे के पूरक है। दोनो की आर्थिक क्रियाओं में भागीदारी भी आवश्यक है देश की अर्थव्यवस्था को और अधिक बेहतर बनाने में। राष्ट्रीय सकल कुल आय से ही देश में प्रति व्यक्ति आय बढ़ती है। जी.डी.पी. ग्रोथ दर भी बढ़ती है।

सभी शास्त्रों व वेदो में भी नारी की उपमा को महान बताया गया है। नारी ही सृष्टि की सृजनकर्ता है, वह ही जननी कल्याणी है। और समस्त संसार की गतिविधि संचालित करती है। वह संसार में कई रूपों जैसे किसी की पुत्री, किसी की बहन, माँ व बहु या अन्य स्त्री रूपो में जन्म लेती है। और एक परिपार में पलती है तो दूसरे परिवार की बागडोर संभालने की क्षमता रखती है।

प्रस्तावनाः–

स्वतंत्रता के बाद से ही देश में महिलाओं को सामाजिक–आर्थिक दर्जे में सुधार लाने के लिये सरकार की और से कई सकारात्मक व समन्वित प्रयास किये गये है। सरकार की पाँचवी से आठँवी पंचवर्षीय योजनाओं में कुछ नीतिकारी के दृष्टिकोण से बदलाव दिखाई देता है। क्योकि इन योजनाओं में महिलाओं के कल्याण से लेकर उनके सम्पूर्ण विकास को लक्ष्य निर्धारित करते हुए उनके स्वास्थय शिक्षा व रोजगार पर भी विशेष रूप से ध्यान दिया गया है। इनके बाद की योजनाओं मे महिला सशक्तिकरण जैसे क्षेत्रों को खोज कर इन्हे विकसित करने का लक्ष्य रखा गया है। जिससे सरकार अपने सभी स्तरों पर महिलाओं के लिए 30% आरक्षण देकर महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वावलंबी बनाना है। जिससे परिणाम स्परूप देश का आर्थिक विकास में अधिक बढोत्तरी हो। इस हेतु महिलाओं को साक्षर कर उन्हे महिला उद्यमी बनाकर 'महिला वर्ग'

का विकास हो सके। प्राचीनकाल से ही महिलाएँ पुरूष प्रधानदेश में अपने स्वयं के हित में निर्णय नही ले पाती थी, परंतु आज 21वी सदी में महिलाएँ स्वतंत्र होकर अपने निर्णय अपने मतानुसार लेकर उन्होने अपनी जिदंगी की एक नई परिभाषा दी है।

अब 21वीं सदी में महिलाएँ अपना जीवन स्वतंत्र होकर, स्वयं निर्णय अपने हित में लेकर, जीवन यापन करती है। महिला सशक्तिकरण, को बढ़ावा देनेक के लिए सरकार व हमारे प्रधानमंत्री जी भी महिलाहित संबंधी अनेक योजनाओं को पहचान महिला सशक्तिकरण विभाग के नाम से ही दी है। जिससे अब महिलाओं की स्थिति व स्वतंत्रता में सुधार अधिक हो सके।

महिलाओं के हित मे व उनके कल्याण सबंधी व समग्र विकास का लक्ष्य निर्धारित करते हुए व उनके स्वास्थ्य, शिक्षा के साथ–साथ रोजगार का मार्ग भी प्रशस्त किया। जिससे महिलाएँ स्वयं प्रशिक्षित होकर एक उद्यम स्थापित कर सके।

इस हेतु सरकार ने महिलाओं के लिए एक आर्थिक सहायता व एक अलग विभाग बनाया जिसे महिला सशक्तिकरण नाम दिया गया। इस विभाग में महिला उत्पीड़न सबंधी व महिला से सबंधित सभी समस्याओं का निराकरण हेतु व उनके हित सबंधी नई–नई योजनाअे को लागू किया जैसे– ऊषा किरण योजना, लाड़ो अभियान, उज्जवला योजना, सखी सेंटर, राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन आदि।

महिला सशक्तिकरण से तात्पर्यः–

सशक्तिकरण शब्द ही 'सशक्तिकरण से मिलकर बनता है अर्थात् शक्ति के साथ–साथ अधिकारो का प्राप्त होना। सशक्तिकरण करने का मुख्य उद्देश्य जो पिछड़े या वंचित वर्गो के महिलाओ को जोड़कर उनमें स्वयं निर्णय लेने की क्षमता को जागरूक करने की प्रक्रिया में भागीदार बनना। यह ऐसी अवस्था होती है जिससे कुछ आतंरिक क्षमताओ का व शैक्षणिक योग्यता, आर्थिक – समाजिक व राजनैतिक परिस्थितियों पर निर्भर है। जिसमे समाज के आवश्यक सुधार व सुरक्षात्मक क्रियान्यवन हेतु एक सही प्रशासनिक व्यवस्था में सक्षम होना आवश्यक है।

महिला सशक्तिकरण का विषय लगभग अब सभी धर्मो के समाजो में एक नई चेतना व लोगो में एक जन आंदोलन के रूप में सामने अपने लगा। सभी स्तर पर आज महिला आर्थिक सशक्तिकरण का विषय बहुत ही व्यापक हो रहा है। अंतर्राष्ट्रिय स्तर पर भी कार्य महिला सशक्तिकरण से सबंधित सभी बिंदुओं पर मान्यता को स्वीकार कर लिया गया है। जैसे–जैसे सभ्यता की खोज मानव ने की है सभ्यता के विकास को बढाता गया। यह देखा गया है कि महिला सशक्तिकरण को लाने के लिए सरकारी स्तर पर व गैरसरकारी व अन्य वैयक्तिक स्तरो पर वास्तविक रूप से और अधिक प्रयास किये जाने की आवश्यकता महसूस हुई।

महिलाओं के आर्थिक सशक्तिकरण की बात करे तो उन्हे आर्थिक रूप से आर्थिक सतर पर विकास, राजनीति के क्षेत्र में आरक्षण की व्यवस्था, आत्म सम्मान व स्वावंलम्बी व सकारात्मक सोच व आत्म विश्वासी बनाने से है जिससे वे अपने जीवन में आने वाली विषम परिस्थितियो का सामना कर सके। भागीदारी के साथ कार्यो को करने में सक्षम हो और सशक्त रूप से निर्णय लेने की प्रक्रिया का हिस्सा बने। इन सभी बातो को सही ढंगो से किए जाने में शिक्षा का भी बहुत बडा योगदान होता है। जिससे सामाजिक व आर्थिक रूप से विकास करने में मदद होती है।

शिक्षा के क्षेत्र में महिलाओं की स्थितिः–

महिला को संस्कारी के साथ–साथ शिक्षा की भी उतनी आवश्यकता होती है क्योकि परिवार का दायितव उढाने में तो वह सक्षम शिक्षा से ही कर पाएँगी। क्योकी एक महिला का जीवन संघर्ष से होकर ही गुजरता है कब, कौन सी विषम परिस्थिति उसके सामने आकर खडी होगी याह कोई भी नही बता सकता। और मुसीबत के समय में व्यक्ति को स्वयं ही अपनी मदद करनी होती है।

जीवन में पारिवारिक दायित्वों को संभालने में तो महिलाएँ हमेशा से ही आगे रही है। परंतु शिक्षा के क्षेत्र से जुड़ती है तो वह परिवार को आर्थिक रूप से भी सहयोग कर पाती है और स्वयं आत्म सम्मान पाकर उत्साहित होती है।

स्वतंत्रता के पूर्व स्त्री को सिर्फ घर की चार–दिवारी में रहकर घर के कार्य करने की ही अनुमति दी गई। इसके अलावा घर से बाहर जाने नही दिया जाता था। और स्त्री भी अपने आपको घर व परिवार के नियमों को तोड़ने में असमर्थ थी।

महिलाओं की शिक्षा के लिए विशेष प्रावधान शासन ने किये जिसमें पहली पंचवर्षीय योजना जो कि सन् 1951 से 1956 की अवधि में महिलाओं की शिक्षा जिसमें माध्यमिक शिक्षा के पुनगर्ठन हेतु सुझाव देने के लिए एक मुद्रालियर आयोग का गठन किया गया। इय आयागे में बालिकाओं के लिए विशेष पाठ्यक्रम में गृह से सबंधित शिक्षा विज्ञान, ओर गृह शिल्प, गृह उद्योगो को भी शामिल करते हुए शिक्षा देने का सुझाव बतलाया।

इसके बाद की योजनाओं में भी महिलाओं की शिक्षा का प्रचार–प्रसार व उसमें अधिक सुधार व्यवस्था को लागू कर इससे महिलाओं के प्रशिक्षण को एक विशेष प्रावधान बनाया गया और राष्ट्रीय महिला नीति शिक्षा समिति का गठन किया गया। केंद्रीय स्तर पर भी व राष्ट्रीय महिला शिक्षा परिषद भी महिलाओं की शिक्षा को आवश्यक मानते हुए आवश्यक कानुन व प्रावधानों को बनाया गया।

महिला को आर्थिक रूप से सम्पन्न होने के लिए शिक्षा अनिवार्य होना चाहिए यदि देखा जाए तो पहले की तुलना में शिक्षा का स्तर में प्रतिशत बढ़ा है। व अधिक मात्रा में जनसंख्या का शिक्षित करने के लिए प्रेरित कर रही है।

महिला का आर्थिक रूप से सशक्त होनाः–

अब तक हम महिला की स्थिति को निम्न मानते थे व उसे कही भी महत्व नही दिया जाता था। अब महिला स्वयं अपने आपको घर की चार दिवारी की कैद से मुक्त होकर अपने समाज में सम्मानपूर्वक आत्मनिर्भर होना अधिक पसंद करती है क्योकि बदलते परिवेश व सामाजिक अर्थव्यवस्था ने महिलाओं को आगे आने का मौका दिया है। लघु व उद्योगो की स्थापना होने से व कार्य का अतिरिक्त भार होने पर यह कार्य को महिलाओं को भी एक अवसर दिया गया जिसका परिणाम यह पाया गया कि महिलाओं ने कार्य को बखुबी कर दिखाया सही प्रबंधन व सही समय पर कार्य को पूर्ण करने का गुण उनमे जन्मजात है।

आज हमस ब 21वीं सदी में रह रहे है। और अत्यंत विकसित व विकासशील देश में महिला के विकास की सोच को आगे बढ़ा रहे है। क्योकि विश्व की लगभग आधी जनसंख्या श्रम शक्ति के कार्य में एक–तिहाई भाग महिलाओं का होता है। व तृतीय विश्व के देशो में खाद्य उत्पादन के लिए भी पचास प्रतिशत महिला श्रमिक ही कार्य करती है। अब कई अन्य क्षेत्रो में भी महिला कार्य करती है जैसे टाईपिंग, कम्प्यूटर, हॉस्पिटल, नर्से, डॉक्टर, कम्पनी सचिव, कम्पनी में प्रबंधक पद में, व अन्य क्षेत्रों ब्यूटी पॉर्लर, सिलाई, कड़ाई, बुनाई, लघु उद्योग में पापड़, आधार, बनाने में, आदि।

अब तो महिलाए घरो के कार्य से आगे देश की राजनीतिक कार्यो में भी भागीदारी बढ़ा रही है। सकुशल अपनी जिम्मेदारी के दायित्वों के साथ–साथ देश की व्यवस्था को संभालने की कमान ले ली है। साथ ही साथ कंद्र सरकार एवं राज्य सरकार भी समय–समय पर उद्यमों की स्थापना करके महिलाओं को कार्य उपलब्ध कराने को आगे आ रही है। ये संस्थाएँ वर्तमान में अभी इनकी संस्था 70–80 से अधिक है जो पहले कर्मचारियों को प्रशिक्षण, परामर्श व अनुसंधान के निर्धारण व वित्त की व्यवस्था को उपलब्ध करवाती है।

लेकिन कुछ और संस्थाएँ महिलाओं को स्वयं के उद्यम के रूप में स्थापित करने को स्वरोजगार व वित्त व्यवस्था उपलब्ध करवाता है।

संस्थाओं के नाम निम्न प्रकार से है।

1. **मध्यप्रदेश महिला आर्थिक विकास विभाग**
2. **मध्यप्रदेश खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग**
3. **मध्यप्रदेश राज्य एवं वित्त निगम**
4. **जिला व्यापार एवं उद्योग कंद्र**
5. **लघु अद्योग सेवा संस्थान**
6. **उद्यमिता विकास केंद्र**

प्रश्नः— इंदौर जिले में मध्यप्रदेश शासन द्वारा संचालित योजनाओं से महिला के आर्थिक व सामाजिक स्तर में सुधार हुआ है

प्रशन का उत्त्र देने से पहले हम म.प्र. शासन द्वारा संचालित योजनाओं मुख्यमंत्री स्वरोजगार व मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना के अध्ययन करेगे। जो कि महिला को स्वरोजगार व आर्थिक कल्याण हेतु वित्त उपलब्ध कराती है।

अ. मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजनाः—

मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना में समाज के सभी वर्गो के लिए स्वयं का उद्योग, सेवा, विनिर्माण, या उद्यम को स्थापित करने हेतु बैंको के माध्यम से सुगमता पूर्वक ऋण प्राप्त हो सके। इस उद्देश्य से मु. स्वरोजगार योजना प्रारंभ की गई। योजना के अंतर्गत मार्जिन मनी की सहायता, ब्याज अनुदान, ऋण गारंटी शुल्क एवं प्रशिक्षण का लाभ शासन द्वारा दिया जाएगा। योजना का कार्यक्षेत्र सम्पूर्ण मध्यप्रदेश ही रहेगा।

ब. मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजनाः—

मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना में हाथ ठेला चालक/पथ विक्रेता, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वालो के लिए परिवार के लिए आर्थिक सहायता दी जाती है। इस योजना के अंतर्गत समाज के सबसे गरीब वर्ग को कम लागत के उपकरण तथा कार्यशील पूँजी उपलब्ध कराई जावेगी। योजना का लाभ केवल नवीन उद्यमों की स्थापना हेतु देय होगा।

जिला अन्तयावसायी सहकारी विकास समिति मर्यादित जिला इंदौर महिला उद्यमी की जानकारी

क्र.	व र्ष	मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना			मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना		
		संख्या	ऋण	अनुदान	संख्या	ऋण	अनुदान
1.	2014–15	62	132.21	36.66	121	24.20	12.10
2.	2015–16	67	198.31	55.79	136	27.50	13.60
3.	2016–17	66	226.74	62.60	137	38.60	15.95
4.	2017.18	57	21.96	60.56	185	85.90	27.91
5.	2018–19	64	289.74	82.11	172	77.7	25.12
6.	2019–20	6	31.00	8.20	4	2.00	0.60

अतः योजनाओं के आकँड़ो और अनुदान की गई राशि का विवरण देखने के पश्चात हम यह मान सकते है कि मध्यप्रदेश शासन की योजनाओं जो मुख्यमंत्री स्वरोजगार योजना व मुख्यमंत्री आर्थिक कल्याण योजना है वह महिलाओं को उनके आर्थिक व सामाजिक स्तर पे उपर उठाने में उन्हे वित्त की व्यवस्था रोजगार करने हेतु दे रही है। जिससे वे अपने स्वयं के हित के लिए व अपनी आर्थिक स्थिति को ऊपर लाने में स्वयं ही कार्य कर सके। जिससे समाज में अन्य महिलाएँ भी आगे आने में संकोच नही करेगी व सामाजिक रूप से आर्थिक रूप से अपने आपको मजबूत बनाने में कदम बढ़ाएगी। व गरीब महिलाओं को भी छोटे कार्य उपलब्ध होगे व अन्य उद्यम की स्थापना होगी।

महिला ही महिला की जीवन की समस्या को पहचानती है और इसके लिए महिला ही अपने जीवन में आर्थिक रूप से मजबूत होने के लिए योजना का लाभ ले के स्वयं का उद्यम या व्यवसाय या लघु उद्योग या अन्य कार्य की गतिविधियो का प्रशिक्षण प्राप्त कर अपने ही जैसी महिलाओं को एकत्रिता कर कार्य का संचालन कर सकती है।

अतः शिक्षित महिला व आर्थिक रूप से सशक्त महिला ही महिला के आर्थिक सशक्तिकरण से महिलाओं के आर्थिक स्तर पर सामाजिक स्तर में सुधार दिखाई दे रहा है। महिलाए अब आगे बढ़ रही है विकास की और व प्रगति की और।